न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र कुमार सिह, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 8 / 2015 (प्रा0पत्र–आवंटन निरस्तीकरण)
जी0सी0एम0एस0नं0–2015 / 00047

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा, जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

शंकरलाल पुत्र जगराम जाति बैरवा निवासी इटावा

(अप्रार्थी)

उपस्थित :– 1. श्री सरकार पैरोकार (प्रार्थी की ओर से)
1. श्री सलीम खान (अप्रार्थी की ओर से)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956
बाबत निरस्त किये जाने आवण्टन ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

निर्णय दिनांक :5/12/25

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 के अन्तर्गत बाबत अप्रार्थी के आवंटन निरस्त करने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी को राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमियों के आवंटन तथा विक्रय संबधी) नियम 1957,राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954,राजस्थान कोलोनाईजेशन (जनरल कोलोनी) कन्डीशन्स और राजस्थान गर्वमेंन्ट ग्रान्टस एवं 1961 के अधीन विहित बाध्यताओ,निबन्धनो और शर्तो एवं बाध्यताओ के आंवटन किया गया था। अप्रार्थी को आंवटित भूमि की गई भूमि पर अप्रार्थी का आदिनांक तक भी कब्जा काश्त नही है तथा आंवटित भूमि की सम्पूर्ण राशि बावजूद सुचना जमा नही कराई गई है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक सलीम खान द्वारा वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया । वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित किया कि ग्राम इटावा के खसरा न.1227 / 2889 की रकबा 0.03 है0 भूमि आंवटन किया जाना स्वीकार है। अप्रार्थी द्वारा आंवटित भूमि सें संबधित समस्त राशि जमा करवाई गई है, और आंवटित भूमि पर आज भी अप्रार्थी मौके पर वास्तविक रूप से कब्जा है एवं अप्रार्थी आवंटित शुद्वा भूमि पर प्रतिवर्ष काश्त कर फसल प्राप्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी सरकार की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अप्रार्थी आवंटी के पास 25 बीधा भूमि से ज्यादा कृषि भूमि हो।

3. अप्रार्थी द्वारा कई बार तहसीलदार पीपल्दा को उक्त गैरखातेदारी भूमि में खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत् आवेदन भी पेश किये। अप्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण राशि मय ब्याज जमा करा देने से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है उक्त कार्यवाही झूठे तथ्यो

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

के आधार पर पेश की गई है। वर्तमान में उक्त भूमि नगर पालिका इटावा के क्षैत्राधिकार मे होने से आंवटन निरस्त करने का अधिकार न्यायालय को प्राप्त नही है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज कर आराजी ख.न. 1227/2889 के खातेदारी अधिकार दिये जाने के आदेश फरमावे।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र खारिज कर आराजी ख.न. 1227/2889 के खातेदारी अधिकार दिये जाने के आदेश फरमावे।

5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्जावेज/रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2066–2069 में नोट अंकित है कि नामान्तकरण संख्या 1910 दिनांक 4.06.20210 से अप्रार्थी शंकरलाल पुत्र जगराम जाति बैरवा निवासी इटावा को ख.न. 388,413 किता 2 रकबा 0.85 पर खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है। पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट पटवार मण्डल इटावा दिनांक 8.12.2015 के अनुसार अप्रार्थी के ख. न. 1227/2889 रकबा 0.03 है0 भूमि ग्राम पंचायत द्वारा बनाये गये रास्ते में आ चुकी है। उक्त खसरे को कब्जेराज लिया जा चुका है उक्त कार्यवाही/मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थी शंकरलाल के भी हस्ताक्षर है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर कब्जा,काश्त नही है। उक्त खसरा नम्बन 1227/2889 रकबा 0.03 है0 पर ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में रास्ता बनाया जा चुका है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई । अतः आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही किये जाने से आवंटन निरस्त योग्य पाते है ।

अतः राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी का वाके ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा की आराजी खसरा नम्बर 1227/2889 रकबा 0.03, हैक्टयर का आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार पीपल्दा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि को राजकीय सिवायचक खाता सरकार दर्ज करे।

6. निर्णय आज दिनांक 5/12/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा